फिल
*

हूबहू

राजस्थान सरकार

मौके तामील [illegible] जो संलग्न है। जवाब [illegible] प्रस्तुत नहीं है।

(व [illegible] 129)

2024/189

जनरल [illegible] सिविल रूल्स [illegible] ओ[illegible] फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 177	56/24	02/5/24		16/5/24 22/5/24 23-5-24 13-6-24 4-7-24 निर्णय में [illegible] 25-7-24 5/8/24 20/8/24

20/8/24 [illegible]

बनाम

श्री राजस्थान सरकार .... श्री नानू पुत्र रूपचन्द भील

निवासी जरिये तहसीलदार .... निवासी [illegible] बांर (बिजौलियां)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट .... अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार .... मदयून

श्री पैरोकार सरकार .... श्री EX - Party

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पैरोकार सरकार बनाम नानू पुत्र रूपचन्द

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 56 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/05/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 16/05/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
16-5-24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/5/24 को वास्ते 3 बिट आ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
21/5/24	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण को 3 बार आवाजें लगाई गई परन्तु ना तो विपक्षी ना ही विपक्षी अधिवक्ता पेश हुए। पत्रावली में विपक्षी को पेश होने के लिए अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आगामी दिनांक 23/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
23/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रबली दिनांक 13/6/24 को वास्ते अन्तिम अ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 5/8/24 को वास्ते उ.आर. 2 पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आदेश पारित किए गए, एवं तहसीलदार बिजौलिया को नकल जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 56/2024   दायर तारीख 02.05.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. नानू पुत्र रूपचन्द जाति भील सा0 आंट, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. एकपक्षीय

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– २० /08 /2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर खनन किया हुआ होकर खड्डा हो रहा हैं।

अतः प्रतिवादी की ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा की आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

उक्त प्रकरण में विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 61 ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रस्तुत की हैं। ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा की आराजी नम्बर 504/310 के नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न हैं। गूगल मेप व जीपीएस मेप की प्रति संलग्न हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 20/08/**2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 56/2024 दायर तारीख 02.05.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

नानू पुत्र रूपचन्द जाति भील सा0 आंट, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :20/08/2024

डिक्री दिनांक :20/08/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां एकपक्षीय को मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 504/310 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/08/2024 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

.........................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil .....

...ीज ....Nil.......... मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से

...लयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
			स्टाम्प अरजीदया		
...जीदया			स्टाम्प वकीलात नामा		
...ीलात नामा			स्टाम्प वजह सबूत		
...ह सबूत			महनताना वकील ( )		
वकील ( )			खर्चा गवाह		
...ह			फीस कमीश्नर		
...िश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
...राय हुक्मनामा			मुनफरिक		
...			मीजान		
मीजान					

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)